THE VICE-CHAIRMAN (Shri Dinesh Goswami): Thank you.

THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 1983—Contd.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill that has been brought in this House is generally welcome. But it contains some serious lacunae which require to be rectified if the Bill is really intended to be effective.

Sir, the Bill has been brought forward because of the rising incidents of dowry deaths. This is a matter of concern to every one of us. Although the Bill seeks to deal with the dowry deaths, it has nothing to say regarding the evil of dowry itself. Unless we can fight that evil, I think the Bill will not be very much effective in fighting the very evil of dowry deaths, for which this Bill has been brought forward.

I understand that an amendment to the Dowry Prohibition Act, 1961, was brought in the Lok Sabha, and it was sent to the Select Committee, and the Select Committee submited its report a year back. But till now the Government has not come up with an amendment to that Bill. I understand that the Select Committee suggested some drastic modifications also so that dowry can be prohibited thoroughly. But the Government has not thought it necessary to bring that amendment Bill. Instead, they have brought this amendment to criminal law, which I think, is only a secondary part of the whole danger that we are facing in regard to dowry and deaths. Sir, I would like to know whether the Government considers that this Bill which has been brought forward in the House is sufficient to fight this evil of dowry deaths. I would like to know whether the Government will be able to cope with the disease with the provisions that have been set forth in this Bill. This morning we got a statement from the concerned Minister as regards the rate of dowry deaths in the city of Delhi itself. Here I want to point out that during the period 1-3-1980 to 30-11-1983, there have been 120 cases of abetment of suicide. Now this Bill seeks to deal with the case of abetment of suicide also. But what I want to point out is that out of 120 cases of abetment of suicide, only 13 cases were decided by the courts and out of these 13 cases, only two were convicted. So it is a very difficult thing to prove abetment also. That is why I feel that this Bill is not adequate to prove the guilt of the abettor, the husband or the in-laws who abet the suicide of the woman. I think section 498A in the Bill is very weak. If we want to put into effect this section, then the conduct of the husband or the in-laws should be proved to have been of such a nature "as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury", etc. And you have also to prove "harassment of the woman where such harassment is with a view to coercin gher or any person related to her to meet any unlawful demanl for any property". I feel that this is the most difficult part of the Bill. How this conduct, harassment and all these things can be proved as per section 498A, I fail to understand. Particularly in India's society, the girl's parents will always prefer not to say or do anything which may stand in the way of reconciliation. They will not prefer to go to the court. The parents of the girl or her relatives will even be hesitant to come forward and give evidence before the court, or even take the case before the court to prove this sort of conduct and harassment perpatrated on the woman. So this Bill seems to be very weak in this respect.

Then section 198A says:

"No court shall take cognizance of an offence punishable under section 498A of the Indian Penal Code except upon a police report of facts which constitute such offence or upon a complaint made by the person aggrieved by the offence or by her father, mother, brother, sister or by

her father's or mother's brother or sister or, with the leave of the Court, by any person related to her by blood, marriage or adoption."

I feel this is the weakest part of the Bill because sometimes, the relatives may be far away and they may not be knowing what is happening to the woman inside the house, inside the family. But it may happen that the neighbours or other friends who may not be related to the woman by blood, adoption or marriage, may be knowing many things about the girl, about what is happening to her, how her husband is treating her or how her in-laws are treating her. All these, things may be reaching the neighbours or other friends who may not be related to the woman by blood or mariage or adoption. So I feel that this section should be modified so that any neighbour, any friend or any voluntary social welfare organisation can inform and it will be then cognizable as an offence. That is the modification that I suggest to the hon. Minister.

Then in clause 3, amendment of section 174, it is said:

"..the case relates to the death of a woman within seven years of her marriage and any relative of the woman has made a request in this behalf;"

After the death of the woman, why only a relative of the woman will have to make the request? Maybe, as I said already, the relatives might be living very far away. It may be difficult for them to report to the police or even know the death of the woman. So neighbours and friends of the woman and other social welfare organisations should also be permitted to report to the police. And if they report to the Police, the police should take cognizance of the death and arrange the postmortem. As regards postmortem, in the rural areas also dowery deaths and suicides by abetment are taking place in large numbers although in big cities such incidence is much higher. In rural areas if a girl dies by burning or commits suicide or is killed in any manner, it is very difficult to get her postmortem done before the putrefaction of the body. In such cases adequate arrangements must be made for immediate post-mortem. Post-mortem facilities should be extended to rural areas on a large scale if you want this Bill to be effective.

As regards the dying declaration, the dying declaration of the victim is very important in proving the case and for conviction of the accused. But what we have experienced is there is a lot of manipulation while taking the dying declaration. Sometimes it is done in closed doors, a doctor is there, the police is there, and the woman is told, "you are anyway dying, why do you put your husband in trouble? If you give some complaint against him, he will be in trouble." Our Indian women are so much devoted to their husbands that even when they are dying and they know very well that the husband is responsible for her burning or death the women refrain from blaming the the husband or giving a complaint against him. Sometimes coercion takes place, persuasion takes place, by the doctors and police officers and other interested people. I, therefore, suggest that at the dying declaration there must be a magistrate brought in; the dying declaration should be taken in the presence of a magistrate also in the presence of some persons belonging to some social or voluntary organisations and also some of the neighbours. In that event the scope of manipulation will be less and the woman will be able to give a true dying declaration.

Similarly, at the post-mortem I repeat, before the body is disposed of after post-mortem, if the parents of the girl or other close relatives are not immediately available, then her immediate neighbours or her friends or some members of some social or voluntary organisation should be called and in their presence only that the body should be disposed of. The presence of all these persons will be a precaution so

[Shri Sukomal Sen]

that the scope for manipulation in such cases is reduced to the minimum most.

Now I come to where I started, and that is regarding cases of cruelty to women in the society. Its source is dowry, property. Women in our country do not have equal rights to property. If we want to minimise this incidence of cruelty, dowry deaths, etc. all this harassment of women, women should be given equal rights to the ancestral property. Whether the families follow the Dayalbag law or the Mitakshara law, irrespective of such laws, women should be given equal right to ancestral property, which means, economically, in matters of division of property, women should be put on a par, on an equal footing, with men.

Then, since it is a very delicate affair, to prove the cases of abetment or harassment in court, I feel that some special courts should be set up. I suggest family courts should be set up for trying such cases.

Why I mentiond this is because it is very difficult to prove in ordinary courts of law as to how a husband harasses his wife, how the husband or the wife's in-law perpetrate cruelty on her, etc. One has to go through the entire family life and how they live, how they conduct their daily life, what is the nature of other members of the family, what is the environment in which they live and many other factors. And it is very difficult to prove them in an ordinary court of law. That is why I say family courts should be instituted presided over by the Judges. If necessary even jury trial may be there so that all pros and cons are gone through.

Then, like the Backward Classes Commission we may have a Women's Commission to oversee the implementation of the Act. The Dowry Prohibition Act was passed in 1961. But it was never implemented and therefore the law could not stop the malpractice of dowery. Now, who will oversee it? Government cannot oversee whether the Act is implemented or not. That is why I suggest the Women's Commission so that the right and status of women are protected. This is also the demand of several Women's organisations.

We are living in a capitalist society and what is behind the motive for dowry? It is the acquisitive nature of the people. It is part and pracel of any capitalists society. Desire to acquire property and money is behind this crime. Dowry is not demanded only at the time of marriage. Even at the time of birth of children it is demanded. In the Sudha case the Sessions Judge openly said that demanding dowry is not something unusual; it is customary in the Hindu society. So, demanding dowry has been institutionlised in our society. If we really want to do away with this evil, Government should take us seriously a propaganda campaign both at educational and cultural levels. An environment should be created in which people should realise the evil nature of this custom. Unless and until we build up a new society in which there will be desire for acquiring more and more property and money and unless we remove that tendency of people to acquire more wealth, whatever laws we pass in Parliament they cannot remove this evil from our society.

Anyway, if my suggestions are accepted, I feel to a certain extent we will be able to fight this evil and protect the dignity and status of women in our society. I hope the hon. Minister will give serious thought to my suggestions.

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka): Mr. Vice-Chairman the Bill which we are discussing is very important. Though it was introduced in the Lok Sabha last year and in this House, we are discussing it only today. This is the most burning problem in our society. Almost everyday we read in papers that not more than ten to fifteen dowry deaths take place.

In this connection, I would like to say that there are no two opinions

about this dowry problem and the dowry deaths. Every educated and every civilized person in this country knows that this is an inhuman practice which should be put an end to. But just by making laws and Acts this practice will not be stopped. No doubt, Acts and laws would be able to punish a few persons and those who commit crimes like murder, etc. under the IPC and so on. But I would like to ask the Minister in how many cases of such dowry deaths the truth has come to light and the case has been proved in the law courts? If we could stop social evils by passing some legislation, then there would have been no black money at all and there would have been no smuggling and there would have been no untouchability in this country.

Sir, dowry is not a recent innovation in this country. We find that even in olden days, many parents became beggars after giving their daughters on marriage because of the huge dowry that they had to give. But it was never so brutal as it is today. Sir, the great social reformer, Shri Raja Rammohun Roy, was against sati and was against burning of widows on the pyre and he succeeded in his efforts to stop these social evils because these were very limited. But, these days, Sir, we find that there are too many dowry deaths. Either due to dowry or due to bad treatment by mother in-law or father-in-law, a women dies or she commits suicide and, in certain cases, the in-laws for the sake of getting more dowry have the woman killed. So, this is how it is happening and this way, that is, by passing some laws you will not be able to solve this problem. If you really want to stop this evil practice, you have to see that large-scale education of women is there in society. So long as there is the system of arranged marriages, dowry problem will be there and the dowry deaths will continue. There are castes and sub-castes in our society and these will also continue as long as the system of arranged marriages prevails and such social evils will continues. Our great poet Rabindranath Tagore, once said that person who commits an act of injustice and a person who tolerates injustice and a equally guilty. A person who gives dowry is more guilty than the person who takes it. Why should he give dowry at all? He should think why he should give dowry. I think if our girls are properly educated, they will be able to choose their own husbands and they will also think why their parents should give dowry at the time of their marriage. I don't think our girls will be unable to choose their own partners. If they choose their husbands, then they would naturally think as to why their parents should give dowry. But, Sir, in our country, we are not giving sufficient education to our girls and, further, in our society, we are giving, from the very beginning, the first preference of choice to the birth of boys and only second choise is the birth of a girl. Always, Sir, the birth of a boy is the first choice. A boy is always the first choice in our families and that is the reason for many of our ills in society. It is because of this attitude towards girls that the girls in our society have to face difficulties and problems at every stage and it is because of this attitude towards them that dowry deaths take place. These deaths take place not only when more demand for dowry is made, but also when the girls have to protest against the inhuman behaviour of the in-laws. I feel that the women in our country should be assured their status in society and their status, social and economic, should be properly ensured and they should be unabled to become independent economically and socially.

Then, Sir, these dowry deaths are reported in the newspapers these days. Such deaths were there earlier also. But in olden days newspapers were not there and they were not coming out. In these modern days there are many papers and the news about such dowry deaths appears in the papers. I would like to tell the Minister that passing some legislation and having some Acts will not solve the problem. For this purpose, we should give proper status to women in our society. Once a

[Shrimati Monika Deo]

proper status is given to women in our society, I think you can completely abolish the evil of the dowry system.

Sir, another thing I would like to say is that culprits of rape and dowry deaths, I feel, should be hanged immediately, without any trial. (*Interruptions*) You go first to a lower court, then the High Court and then the Supreme Court, and then ultimately...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mrs. Das, first you shall have to find out whether the person has committed a crime or not. How can....

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): These are the sentiments of a lady.

SHRIMATI MONIKA DAS: I say that deterrent punishment should be given to those who are found guilty of dowry death or rape or any other such case. Under the Dowry Act of 1961, six months' punishment and a fine of some two or three thousand of rupees has been prescribed. Sir two or three thousand of rupees fine anybody can pay. One thing I may tell the hon. Home Minister. Dowry deaths do not take place among the poor class people, who are only engaged in daily bread earning. Dowry deaths take place mostly in middle class, sophisticated families who want to lead artificial lives, or in upper class families who can spend lakhs and lakhs of rupees to hush up such cases. Poor class people are too busy earning their daily bread. That is why I will request the Government to establish an independent Commission for Women. That is most important, Sir.

Women should be given a status in society—economically, politically and socially. That is also most important. Until and unless we give respect to women in society, this problem will remain unsolved. How many women come out in the life of our society? Mostly they are in the kitchen, inside the house, with the mother-in-law, and so on. Their condition is pathetic. As a young girl, she is under her parents, after that under her husband and after that under her son. This is Women's life. So if women stand on their own feet, then I do not think that these people will indulge in inhuman activities these atrocities will automatically end.

Sir, while concluding, I say that six months' punishment is nothing it should be made at least five to ten years if the person is found guilty. Also a fine of Rs. 2000 or Rs. 3000 is nothing a minimum of Rs. 10,000 or Rs. 20,000 should be there, so that at least they learn what they have done with women's lives. I do not want to say anything more. As long as demand and supply are there in the society, we will not be able to solve this problem. To put an end to this. Women should be given education. That is the only way to tackle this problem. If you give them education, it will not be there. I do not want to say much. I would only repeat that there should be a separate Commission for Women and punishment should be made more rigorous.

Thank you.

श्री हरि शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े खेद की बात है कि इस देश में जिस में सब से पहले विधान बनाने वाले मनु ने यह घोषणा की "यत्र नार्यस्यतु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" उस में आज स्थिति यह है कि महिलाओं की इस दुरावस्था पर हम लोग ...

एक माननीय सदस्य : तर्जुमा करिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तर्जुमा यह है कि जिस देश में नारी की पूजा होती है उस में देवता रहते हैं और जिस देश में नारी के साथ दुर्व्यवहार होता है वह देश पतित है, घृणित है ।

एक माननीय सदस्य : जानवर है।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : जानवर कहिए, कुछ भी कहिये । जिस देश के विधान का निर्माण इस भावना के साथ हुआ वहां पर आज हम इस डाउरी डेथ के मामले को डिस्कस कर रहे हैं यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है । लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस के पहले कि हम आगे बढ़ें । हमारे ला कमीशन के बहुत रिपोर्ट है । उस ने दो लाइन में इस बारे में अपनी रिकमेंडेशन की है । उस पर भी हम गम्भीरता से विचार करें और उस के कारणों पर विचार करें। मैं कोट करना चाहता हूं ला कमीशन की रिपोर्ट के पेज 328 और 329 से। ला कमीशन ने कहा है :

"Interference of the criminal law in these matters of family life should we think, be exteremely limited."

यह क्यों कहा ला कमीशन थे ? यदि हम अपने द्वारा बनायी हुई एजेंसी को सिफारिशों पर कुछ ध्यान देते हैं तो उस की रिकमेंडेशन पर भी हम को विचार करना चाहिए । यह डाउरी तो हिन्दुस्तान में पता नहीं कितने वर्षों से चली आ रही हैं । किस रूप में चली आ रही है यह सुनिये । शादी के पहले लड़की की सगाई होती है उस में दहेज, सगाई के बाद विवाह होता है उस में दहेज और विवाह होने के बाद जब लड़की के बच्चा होता है तब दहेज और जब बच्चे की शादी होती है तब दहेज । हमारे यहां तो यह कहते हैं कि जब तक लड़की दादी बन जाती है तब तक लेती ही रहती है और लड़कियों को न दिया जाय तो यह बुरा मानती हैं । जब तक हम इन कारणों के अन्दर नहीं जायेंगे कि डाउरी किस रूप में चली आ रही है, अभी दहेज के कारण जो डेथ हो रही हैं पहले ऐसी डेथ्स हुई कि नहीं, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई थीं और अब क्यों होने लगी हैं— इन कारणों को सोचे बिना यदि हम फेमिली लाइफ में इन्टररेंस करेंगे तो उस के परिणाम जो हम चाहते हैं वह नहीं होंगे और विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं । वह मैं उदाहरण दे कर प्रस्तुत करूंगा ।

मान्यवर, थोड़ा सा मैं इतिहास बताता हूं । प्रारम्भ में दहेज में एक रुपया देते थे । सगाई पर एक रुपया कहीं एक आना, कहीं एक पैसा दो पैसा था । सगाई विवाह में सब चीजें लिमिटेड थीं, उस से ज्यादा कोई दे नहीं सकता था। समाज का बन्धन था, कोई डिस्प्ले नहीं कर सकता था । लेकिन जब से ब्लैक मनी पैदा हुई है—इस डाउरी का सम्बन्ध सीधा ब्लैक मनी से है—पैसा ज्यादा आने लगा है, तब से होड़ लग गई है। एक आदमी के पास पैसा हुआ तो उस ने बढ़ चढ़ कर दहेज दिया । दूसरे ने सोचा वह क्यों कम रहे, उस ने कर्ज कर के किया । इस तरह से बड़ा भारी भार हम ने अपने ऊपर लिया । इस लिए जो मुख्य कारण है जब तक उन को दूर नहीं करेंगे तब तक इन कानूनों का हश्र क्या होगा ? जैसा मेरे एक मित्र ने बताया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट '61 का उपयोग नहीं हो रहा है उस का कोई मतलब नहीं, शारदा एक्ट बना उस का कोई उपयोग नहीं हुआ । एडल्टरी का कानून आई० आई० पी० सी० में बना हुआ हैं । कितनी महिलाओं ने एडल्टरी के केस करती हैं अपने हसबेंडस के खिलाफ। चाइल्ड मेरेज एक्ट के रहते हुए करोड़ों की संख्या में 13 साल से कम उम्र की लड़कियों की, बच्चों की शादियां हो रही हैं । अब लड़कियों को राइट टु प्रापर्टी दिया है, अपने पिता की सम्पत्ति में लड़की को अधिकार हैं, लेकिन कितनी लड़कियों को उनका हिस्सा मिलता है ?

[श्री हरिशंकर भाभड़ा]

उस का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से इस कानून का भी हश्र होने वाला है क्यों कि हम ने इस के कारणों में जा कर सोच नहीं की। हम इस कानून को महिलाओं के साथ अत्याचार के साथ जोड़ना चाहते हैं तो बात दूसरी है क्योंकि महिलाओं का सवाल— मेरे एक कांग्रेसी मित्र रुद्र प्रताप सिंह जो ने कहा कि पुरुष महिलाओं पर सदैव अत्याचार करते रहे हैं। लेकिन इतिहास में कुछ बातें और हैं। महिला को लेकर महाभारत हुआ, महिला को ले कर रामायण हुई, महिला को ले कर ट्राय का बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिस में वह सभ्यता नष्ट हो गयी। अपहरण तो पुरुषों का भी हुआ है लेकिन इस तरह के महायुद्ध कभी उन के लिये नहीं हुए। लेकिन महिलाओं के लिये हुए हैं और यदि महिलाओं पर अत्याचार की बात सही है तो हम और आप, बाप और सुसर सब यहां बैठे हुए हैं अपनी छाती पर आप हाथ रख कर देखिये कि हम में से कितने लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : इस को छोड़ दीजिये। This may lead to a controversy. And the Chair himself will be in difficulty. अब आप बिल पर चले आइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी लिये मैं आ रहा हूं। मेरे कई मित्रों ने भावना के आवेश में आ कर जो बातें कहीं हैं मैं उन के लिये निवेदन करना चाहता हूं और इसलिये ही मैं ने आप के सामने ला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, क्रिमिनल ला का इंटरफियरेंस फैमली लाइफ में हुआ तो इस का परिणाम ज्यादा भयंकर होगा। सेक्शन 498 में आप ने क्रयेलिटी की डैफनीशन दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक पति अपनी पत्नी से नाराज हो कर बोलता नहीं है और न उस को मारता है और न गाली देता है और न उस को पीटता है। केवल उस से वह बात नहीं करता है और उस ने पत्नी से बोलना बंद कर दिया है। तो ऐसी महिलाये भी हैं जो उस न बोलने को इस हद तक ले जा सकती हैं कि यदि उन का पति उन से नहीं बोलता तो वे आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसी इम्मोशनल महिलायें भी हैं। तो आप का कानून उन के बारे में क्या करेगा? इस तरह के उदाहरण अगर आप के सामने आयें तो आप का यह कानून क्या करेगा? आप के इस कानून का ऐसे मामलों में क्या परिणाम निकलने वाला है? दूसरी ओर जो आप ने 498 ए लगाया है उस में हस्बेंड और उस के रिलेटिव को तो शामिल किया हैं लेकिन उस में अन्य महिलाओं को भी शामिल क्यों नहीं किया। उस में सन और डाटर इन ला को क्यों नहीं शामिल किया। यह केवल जवान लड़की का सवाल नहीं है। जो बेवा हो जाती हैं वे और बहुत सी लड़कियां हैं जो मां बनती हैं उनकी परवाह नहीं की जाती। बहुत सी बहुयें सासु की परवाह नहीं करतीं, उन को लात मार कर निकाल देती हैं, उनको रोटी नही देतीं...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): By any other person related.

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: "Related to the husband" only. Daughter-in-law is not included. इसमें है नहीं इंक्लूडेड, पर मैं बता रहा हूं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि लड़कियां को ऐनसेस्ट्रल प्रापर्टी में अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कियों को ऐनसेस्ट्रल प्रापर्टी में अधिकार देने का परिणाम यह होगा कि अभी बहुयें जलायी जाती हैं या जलायी जा रही हैं, उस हालत में लड़कियां जलायी जायेंगी। इसलिए कि लड़की बड़ी

होंगी तो भाईयों से अपना हिस्सा मांगेगी इस लिये इसको पहले ही खत्म कर दो। इसलिये जब तक समाज की स्थिति नहीं सुधरेगी हमारा सोचने का तरीका, हमारा दिलोदिमाग नहीं बदलेगा इससे और ज्यादा कम्पलीकेशन्स पैदा होते जायेंगे।

मान्यवर, डाइवोर्स के मामले को आप लीजिये। अमरीका और रूस आप के सामने उदाहरण के रूप में हैं। आज अमरीका की सोसाइटी में इस बात को लेकर अनरेस्ट है। कि वहां इतने ज्यादा डाइवर्स होते है कि अमेरिकन्स दूसरे देशों की महिलाओं के साथ शादी करना चाहते हैं और अमरीकन महिलाओं से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। दूसरी ओर रूस ने जब देखा कि डाइवोर्स का परिणाम भयानक होने लगा है तो कोर्टस को डाइरेकिटव दिया कि डाइवोर्स के मामलो में धीमे चलो, डाइवोर्स ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट मत करो। तो सारे विश्व में कहां क्या हो रहा है उस परिपेक्ष में हमारे यहां क्या हो रहा है इन सारी बातों पर जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में आपकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी। यदि यह होता तो इस कानून को लाने से पहले आप डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, जिस की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट एक साल पहले आप के सामने आ गयी है उसको आप लाते, उसको आप इन्फोर्स करते और उसको लाने के बाद आप डाउरी की जो बुराई है उसको कम करने की कोशिश करते। वह आप ने नहीं किया और यह कानून ले आये। इस कानून में आपने लिख दिया कि सात साल का टाइम होगा सात साल का टाइम आपने किस ज्योतिषी के कहने से लिखा ? इसके मायने होंगे कि सात साल की अवधि निकल जाने के बाद मारा जाय। वैसे तो कोई टाइम नहीं हो सकता। सात साल के बाद किसी पति ने या उस के रिलेटिव ने अत्याचार किया तो वह इस कानून से बरी है। तो समय की बात है आप को लिखनी ही नहीं चाहिए और समय की बात जो लगायी है वह मैं समझता हूं कि आप ने गलत लगायी है। आप जानते हैं कि इसमें काम्पलीकेशंस पैदा हो सकते हैं। आजकल एरोगेंस बढ़ रहे हैं। लड़के और लड़कियों में न लड़कियां सहन करती हैं और न लड़के सहन करने को तैयार हैं। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने पति को कुछ कह दिया, श्वसर ने कह दिया; सास ने कह दिया तो सीधा वह कोर्ट में जायेंगी और कहेंगी कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस फैमिली में जो कलह शुरू हो जायेगी उसका अंत आप नहीं कर पायेंगे और इस का असर सारे देश पर, सारे समाज पर पड़ेगा। जब तक आप इस पर पूरी तरह से विचार नहीं करेंगे तब तक आप केवल पीसमील इस तरह से कानून लायेंगे। जिस तरह से मैंने कहा, मैंने कानूनों का जिक्र किया कि वे डैड लेटर पड़े हुये हैं। इसी तरह से यह कानून भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ जायेगा। न एप्लीकेशन होगी, हो भी नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में कोई महिला का रिलेटिव आ भी नहीं सकता। क्योंकि हमारे शादी का तरीका ही अलग है। यहां जन्म-जन्मान्तर का साथ है एक जन्म का सवाल नहीं है। वह महिला किसी भी हालत में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती। उस महिला के दिमाग में जब तक यह भावना रहेगी कि मैं अपने पति से जन्म जन्मान्तर से जुड़ी हुई है तब तक वह अपने पति के अत्याचार सहन करेगी ; अदालत में नहीं जायेगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी रिलेटिव की वजह से

[श्री हरिशंकर भाभड़ा]

अदालत में चली जाए। मैं खुद वकील हूं। मैंने कई केसेज देखे हैं कि महिला कोर्ट में अपने पति के खिलाफ कुछ कहने के लिये मना करती है। वह यह सोचती है कि मैं तो मर रही हूं अपने पति को भी क्यों मारा जाए। उसमें इतनी शालीनता है। आप समाज को सुधारना चाहते हैं तो इस समाज की जो बेसिक वृत्तियां हैं, जो मूलभूत बातें हैं उनको समझिये और उनको समझ कर जो महात्मा गांधी जी की कांग्रेस की कल्चर रही है—इवाल्व गुडनैस इन मैन—उस गुडनैस को बढ़ाइये। (व्यवधान) वन-वे ट्रेफिक से काम नहीं चलेगा। यह दोनों तरफ से होना चाहिए। आप जानते हैं कि पति-पत्नी सुबह लड़ते हैं और शाम को एक हो जाते हैं। इसलिये वन-वे ट्रेफिक नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। (समय की घंटी) मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं। मैं कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कह रहा हूं। कानून के बारे में बात कह रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Whatever you wanted to say, you have spoken.

श्री हरि शंकर भाभड़ा : एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ मित्रों ने यह कहा है, सजेशन दिया है कि इसमें जो सी० आर० पी० सी० में अमेंडमेंट किया गया है, उसमें जो इन्फार्मेन्ट की सूची दी गई है वह इस कानून के लिहाज से ठीक है। आप इसके क्षेत्र को बढ़ाइये मत। कोई भी आदमी इन्फारमेशन दे देगा तो अनेक कम्पलीकेशन होंगे। इसलिये जो इसमें है। वह ठीक है। जब इस केस को कौगनिजेबल बना दिया गया है और इसमें अमेंडमेंट का प्रावधान है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट डिक्लेयर करके उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस झगड़े को आप बढ़ा रहे हैं। बिना महिला के संसार नहीं चल सकता। महिला की बहुत आवश्यकता है। मैं यह भी कहूंगा कि बिना पुरुष के भी गाड़ी नहीं चल सकती। बिना पुरुष के महिला कुछ नहीं कर सकती। मैंने ऐसी कलेक्टर महिला देखी है जिसने शादी नहीं की और बावजूद इतने ऊंचे पद पर होते हुये अपने अनुभव में लिखा है कि मैंने बड़ी गलती की है। मैं बड़ी इन सेक्योरिटी फील करती हूं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन सारी परिस्थितियों को देखकर इस कानून को बनाने के लिये आपको इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिए ताकि इसकी सारी क्लाज पर, प्रोज-एण्ड कोन्स पर विचार करके ला कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है उस सिफारिश के आधार पर हम इसे बना सकें और इस समस्या का हल निकाल सकें। इसका लाभ उठा सकें।

श्री राम पूजन पटेल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस विधेयक का सम्बन्ध इस बात से समझता हूं कि स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आत्म हत्यायें कर रही हैं उनको कैसे रोका जाए। श्रीमन्, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किसी मर्ज की दवा तभी संभव हो सकती है जब कि मर्ज को ठीक से समझा जाए। इसलिये सदन का परम कर्त्तव्य है कि वह इस गंभीर विषय पर चिंतन करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सम्बन्ध में आज समाज में जो व्याप्त सामाजिक कुरीतियां हैं, अन्धविश्वास है, विषमता है, और अशिक्षा है, उसको कैसे दूर किया जाय इस पर हमें विचार करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय

है। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बिल में 498 क में कहा है कि :

"जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुये स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

मान्यवर इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम हो रहा है जो यह लिखा गया है कि तीन वर्ष तक। इसमें तक नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कम से कम तीन साल या पांच साल बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लकुना लगा हुआ है। क्योंकि इससे जो सम्भ्रांत परिवार के लोग होंगे उनको एक घंटे की सजा दे सकते हैं, कोर्ट उठने तक की सजा दे सकते हैं और जिसको पुलिस चाहेगी जो गरीब परिवार के लोग होंगे उनको तीन साल की सजा हो जायेगी। इसलिये मेरा विचार है कि इसमें कम से कम सजा तीन साल या पांच साल होनी चाहिए। अगर यह हो तो अच्छा होगा। लेकिन इसमें "तक" शब्द नहीं होना चाहिए "कम से कम" यह शब्द होना चाहिए। वरना मैं समझता हूं कि इसका जो मकसद है वह कम हो जायेगा और इससे अपराधी लोगों को बहुत लाभ होगा।

आज भी समाज के अन्दर दहेज के लेन-देन एक ऐसी प्रथा बन गई है जिसका सामाजिक कुरीति के सम्बन्ध है जो समाज के लिये एक कलंक है। हमें इस कुरीति को समाप्त करने के लिये मनसा वाचा कर्मणा से काम करना चाहिए। केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहकर म इस कुरीति को दूर करने में असमर्थ होंगे : इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य होगा कि हम समाज के माध्यम से इसको दूर करने के लिये दृढ़ संकल्प हों। समाज में यह भाव भी रहना चाहिए कि इस कुरीति में लीन व्यक्ति को अवश्य दंड मिलना चाहिए। इसलिये ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कानून बनाना हमारा परम कर्त्तव्य है।

स्त्रियों में आज शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। स्त्रियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से हम इस दहेज प्रथा को रोक सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जब स्त्रियां शिक्षित नहीं होती हैं तो वे अपने को असुरक्षित समझती हैं और अपने कर्त्तव्य और अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है कि लड़के और लड़कियों दोनों को अनिवार्य रूप से अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करे, जिससे देश का एक-एक नागरिक अपने कर्त्तव्य और अधिकारों को समझ सके। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल शिक्षा देने भर से यह विसंगति दूर नहीं होगी जब तक उनको सरकारी नौकरियों में कार्य करने के लिये अवसर नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य के लिये बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने आगुवई करके महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचारों को निर्मूल करने के लिये विशेष रुचि दिखाई है और उन्होंने उनको सरकारी नौकरियों और सामाजिक कार्यों में अधिक से अधिक संरक्षण देने की व्यवस्था की है। सरकार उनकी सुरक्षा के लिये पूरी तौर से सजग है। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसका समुचित रूप से पालन होना चाहिए। यह अति आवश्यक है क्योंकि अगर इसका पालन नहीं हो सका तो कानून हमारा

[श्री राम पूजन पटेल]

अधूरा रह जायेगा और महिलाओं की रक्षा करने में हम असमर्थ रहेंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज सारे राजनैतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना चाहिए । क्योंकि केवल राजनैतिक आधार पर ही अगर हम सोचें तो वह पवित्र काम नहीं कर सकते हैं । इन पवित्र काम को करने के लिये, इस कलंक को दूर करने के लिये हम सब लोगों को एक जुट होकर काम करना चाहिए । आज दहेज प्रथा मुख्य रूप से इतनी गहराई तक हमारे समाज में पहुंच चुकी है कि आसानी से इसका हल ढूंढना बहुत मुश्किल है । जहां तक मैं समझता हूं कि इसका कारण काला धन है । जो लोग बेईमानी से धन इकट्ठा करते हैं, समाज का शोषण करके धन इकट्ठा करते हैं, उनके कारण ही, मैं समझता हूं कि समाज कलंकित हो रहा है । यह पूंजीवादी व्यवस्था की देन है । जो इस तरीके से धन इकट्ठे करते हैं वे दहेज में अधिक से अधिक धन देते हैं और उनको देखादेखी जो दूसरे लोग होते हैं वे भी दहेज देने का प्रयत्न करते हैं कि हम भी अपनी लड़की की शादी में ज्यादा से ज्यादा धन दें । हर परिवार शादी में ज्यादा दहेज देने की कोशिश करता है । इसका नतीजा यह होता है कि जो व्यक्ति कम दहेज दे सकता है, उसकी लड़की दूसरे घर जाती है तो उसको आत्म हत्या करनी पड़ती है।

3 P.M.

कहीं पर दिया जला दिया जाता है। कई तरह से उन के साथ दुर्व्यवहार होता है । तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिये कि जिस प्रकार से आजादी के बाद भूमि सीलिंग लगाई गई है उसी प्रकार से धन पर भी इस देश में प्रतिबंध लगना चाहिये कि इससे ज्यादा धन देश में किसी के पास नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूं कि तब इस पर काफी प्रतिबंध हो सकेगा । इस दहेज प्रथा के खिलाफ यह कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे अधिकारी, व्यापारी और राजनीतिक लोग नहीं होंगे क्योंकि अधिक से अधिक लोग मैं देखता हूं कि इसी वर्ग के दहेज में लीन हैं । ये लोग अधिक से अधिक दहेज देते हैं क्योंकि इन लोगों के पास गलत धन बहुत इकट्ठा हो जाता है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में धन जो एक वर्ग में बढ़ता जा रहा है जो समाज का शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून बनना चाहिये अन्यथा हम लोग इसी तरह कानून बना कर के दहेज प्रथा को नहीं रोक सकते जिससे कि हम देश में लोगों की मान-मर्यादा और जानमाल की रक्षा कर सकें । अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री जी के दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपने जो तीन वर्ष तक की सजा के लिए प्रावधान किये हैं उस में तक शब्द को हटा कर के कम से कम कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि शासन के प्रति जनता में या अपराध करने वालों में भय बना रहेगा । शासन भय से चलता है, डंडा दिखाने से कानून बनाने से नहीं चलता है । मैं इन शब्दों के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह प्रथा तभी समाप्त होगी जब हम लोग एक दूसरे को एक-समान समझें समाज वादी भावना हमारे दिल में होगी। स्त्री पुरुष हम सब एक हैं । लड़के-लड़की हमारे सभी एक हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है स्त्री को अर्धांगिनी माना है, सेविका नहीं माना है, अपने सुख का साधन नहीं माना है । जब हमारे अन्दर यह भावना होगी अर्धांगिनी समाज का एक अंग है, हम

दो पहिये की गाड़ी पर चल कर इस देश को समाज को मजबूत बना सकते हैं तब दहेज प्रथा समाप्त होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको एक दोहा सुनाता हूं—

यह तत्त वह एक है, एक प्राण दो गात,
अपने जिस से जानिये, मेरे जिय की बात

जब हम सब यह समझ लेंगे तब हमारा समाज अच्छा बनेगा तब हमारे देश के अन्दर, समाज के अन्दर, परिवार में अन्याय नहीं होगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, कल भी इसी तरह का एक बिल था उस पर भी मैंने अपनी राय जाहिर की थी और उसी से मिलता-जुलता यह भी बिल प्रस्तुत किया है। सब से जो जरूरी बात जिस पर इस बिल को लाने के पूर्व ध्यान दिया जाना चाहिये था जैसे कि अभी पटेल साहब ने कहा है कि गरीब घरों में लेन-देन की बात नहीं है केवल अमीर घरों में यह बात है ऐसी बात नहीं है। पहले तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को आपको देखना होगा और फिर आर्थिक व्यवस्था को भी आपको देखना होगा। आर्थिक व्यवस्था को देखने के बाद फिर शिक्षा की व्यवस्था को आपको देखना होगा। क्या कारण कि हमारी बहनें, बहु बेटियां अपने को जला लेती हैं। पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी जब देखता है कि बड़े लोग अपनी लड़कियों की शादी बहुत ठाठ-बाठ से करते हैं। उसमें राष्ट्रपति भी कभी शरीक हो सकते हैं कितने कितने बड़े-बड़े लोग जिनमें जैसी हैसियत होती है उसी तरह लोगों को आमंत्रित करते हैं और वे बड़े लोग उसमें शामिल होते हैं। जब गरीब देखता है कि ये अपनी लड़के-लड़कियों की शादी में इतना खर्च करते हैं, दुनिया भर का आडम्बर करते हैं, तो उसके मन में भी उठता है, जो कि 300 रुपया तनख्वाह पाता है, 200 रुपया तनख्वाह पाता है कि उसमें से कुछ कटौती करके उस बचत में अपने बच्चों की शादी अपनी शक्ति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाऊं और हम भी अपने बच्चों को प्रतिष्ठा दिलायें लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत मार्मिक बात है कि इन परिस्थितियों के चलते आज हमारी बहिनें, हमारी लड़कियां अपने को जला लेती हैं। उनको अपने सास ससुर के घर जब वे जाती हैं वहां सम्मान नहीं मिलता और जब उनको वह सम्मान नहीं मिलता तो वह अपने को वहां एडजेस्ट नही कर पाती हैं, अपने को एस्टेबिलिश नहीं कर पाती हैं और हीन भाव से वे ग्रस्त होकर दबी रहती हैं। मैं यह नहीं समझता कि इसका एक मात्र कारण दहेज है, यही इसका कारण है। डावरी सिस्टम बेसिक इसमें है। लेकिन जो हमारी बहनें और बहुयें जलती हैं, डावरी के नाम पर जो यह तमाम हल्ला मच रहा है इस की वजह केवल यही होती है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। दहेज वजह है, यह समाज के सामने समस्या बन गई है। लेकिन इसके साथ यह बात है कि वहां उनकी कोई इज्जत नहीं होती, इसका परिणाम यह होता है कि वे जल मरती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथी कल्पनाथ राय जी की स्त्री का देहान्त हो गया है। हम सब लोग इस से बहुत दुखी हैं। इस उम्र में उनकी स्त्री नहीं है। लेकिन मैं जानती हूं कि कल्पनाथ राय जब पढते थे तो तब हम लोग देखते थे कि

[श्री रामेश्वर सिंह]

जब उनके घर में आते थे तो हम लोगों को सम्मान देने के लिये, हमें चाय पिलाने के लिये, जब उनकी जेब में पैसा नहीं होता था तो वे अपनी औरत को कहते थे कि चाय का इन्तजाम नहीं कर रही हो यह नहीं कर रही हो और तब वे किसी तरह से चाय बनाकर हम लोगों का सम्मान करती थी।

श्री राम पूजन पटेल : क्या आप भी ऐसा करते थे ?

श्री रामेश्वर सिंह : मैं भी ऐसा करता था। मैं उस पर आ रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर, अपने सीने पर हाथ रखकर, कहें कि किसी भी दिन अपने घर में क्या करते हैं। घर में जब खाना बनता है तो हमारी बहिनें हमारी बहुयें क्या करती हैं ? वे खाना बनाती हैं और तब तक बैठी रहती हैं जब तक कि घर में बडों को नहीं मिलती। पहले सास-ससुर को खिलाती हैं और फिर महमानों को खिलाती हैं और फिर बच्चों को खिलाती है उसके बाद अगर हांडी में कुछ नहीं बचता है तो उसमें नमक घोलकर पीकर सो जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से उनकी स्थिति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी बहुओं से यह पूछते हैं कि तुम्हारे लिये है या नहीं ? कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो यह देखते हैं। हिन्दुस्तान का पुरुष इतना जालिम है, हिन्दुस्तान का पुरुष जालिम प्रवृत्ति का है कि पहले वह खुद खाता है और बाद में उनके लिये बचता है या नहीं इसकी परवाह नहीं करता। ऐसे जो लोग हैं उनकी संख्या 90 प्रतिशत है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि 99 प्रतिशत घरों में यह होता है। अगर आप कुछ चंद लोगों को छोड़ दें तो बाकी इसी तरह के हैं। बाहर से पुरुष काम करके आता है, घूम कर के आता है और सीधे चौके में घुस आता है खाने के लिये। वह खायेगा, कहेगा थोड़ी सब्जी और दो थोड़ी दाल दे दो, न हो तो नमक दे दो, प्याज दे दो।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : रामेश्वर जी थोड़ा टाइम का ख्याल रखें।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा टाइम 5 मिनट बढा दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी): आप जैसा बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**) आप पुरुषों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पुरुषों के खाने के बारे में बोल रहे हैं ... आप रीजनेबल लिमिट पर रहिये। जितना आप चले गये हैं उससे 6 बजे तक आपका भाषण खत्म नहीं होगा (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : अच्छा मोनिका दास जी आप हमको सपोर्ट करती हो ना। अच्छा इस मुद्दे को मैं छोड़ देता हूं। फिर आगे बढिये। मैं एक बड़े घर का जिक्र कर दूं। क्या करते हैं ? यह तो बहू को ट्रेनिंग आपने नहीं दी थी, या घर की ट्रेनिंग पाकर नहीं आई थी और बिधवा होने के दो साल बाद तक वह आपके साथ नहीं रही और चली गयी। मैं आपको लाना चाहता हूं क्योंकि जब तक इस बात को नहीं लायेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी हमारे भाई साहब डा० रूद्र प्रताप जी कह रहे थे, महान नेत्री इंदिरा गांधी। मैं उस महान नेत्री इंदिरा गांधी से पूछता हूं कि क्या कारण हैं ? कहीं न कहीं तो समाज में दोष है कि आज एक बड़े घर की, एक नम्बर का जो व्यक्ति इस देश का है, उसकी बहु 6 महीने साल भर अपनी सास के पास न रह सके

और हमारे घर में, हमारे घर की बहू बेटियां वर्षों घर की चौखट से बाहर पैर नहीं निकालती हैं चाहे विधवा हो जाती हैं। 18--20 साल की उम्र में मेरी खुद की दो बहनें शादी होने के पांच छः साल के अंदर विधवा हो गयी हैं। मैं खुद भुक्त भोगी हूं। मेरी सगी दो बहिनें हैं। एक ही गांव में ब्याही गयी थीं और दोनों विधवा हो गयी थीं। मैं जानता हूं कि घर से बहार निकलना वे पाप समझती हैं। वे समझती हैं कि घर से पैर निकालेंगे तो पता नहीं कहां जायेंगे, हमारा क्या होगा। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि मैं इसका भुक्त भोगी हूं।

आगे चलिये, एक जिक्र और करना चाहता हूं कि नारी के ऊपर आज जो इस देश में बहस हो रही है और सौभाग्य है कि इस देश की प्रधान मंत्री एक महिला हैं, लेकिन आपने एशियाड पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिये यही रूपया शिक्षा पर खर्च किया होता, यही रुपया गांवों में पाखाना बनाने के लिये खर्च होता तो गांवों में हजारों पाखाने बन गये होते, जहां हमारी बहनें खुले मैदान में पाखाना जाती हैं... (व्यवधान) हल्ला मत करो।

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): This is not an election forum.

SHRIMATI MONIKA DAS: Are we discussing dowry or the Criminal Law (Amendment) Bill?

श्री रामेश्वर सिंह: मैं मोनिका दास से पूछना चाहता हूं तुम इतनी क्यां, क्यां, करती हो, तुम मेरी बहन हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिये लड़ रहा हूं ... (**व्यवधान**)

श्रीमती मोनिका दास: ऐसे लडेंगे,? इंदिरा गांधी का नाम लेकर लडेंगे? आपने क्यों लिया था नाम ? उनका नाम लेने की क्या जरूरत है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please continue, Mr. Rameshwar Singh.

श्री रामेश्वर सिंह: यह इंदिरा जी का नाम लें तो... (**व्यवधान**)

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। ये सारी बातें इस देश में क्यों होती हैं। अभी हमारे भाई रूद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे अभी पटेल साहब चले गये हमारे साथी हैं वह कहते हैं कि जिस देश में पेट के लिये इस्मत बिकती हों। तो आपने इनका इन्तजाम नहीं किया लाखों लाखों, करोड़ों-करोड़ों की संख्या में हमारी बहिनें पेट के लिये न जाने क्या-क्या करती हैं ? अब थोड़ा बड़े लोगों की बात देखिये। मैंने आपको कहा कि इस काम को कम से कम करना होगा यह हमारी डावरी सिस्टम के द्वारा तो मर्डर होता ही है लेकिन डाउरी सिस्टम क्यों होता है मैंने इसका जिक्र किया कि जब * या प्रधान मंत्री ऐसी शादियों में जायेंगी जहां 50 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I think, in all respect the name of the President will not be included. That will be expunged. Under the Rules, we cannot use the name of the President with reference to the debate. No arguments about the President. That is expunged. You please go on.

श्री रामेश्वर सिंह: आप देखिये आप एक बात समझिए। — अगर किसी मैरिज में जाते हो। ...

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

SHRIMATI MONIKA DAS:*

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Nothing will go on record. Nothing is going on record. Mr. Rameshwar Singh, this is a Bill which I think should be above party lines. Kindly come to the Bill and conclude.

श्रीमती मोनिका दास : यह डौरी पर डिसकशन नहीं है ...(**व्यवधान**) इनके पास और कोई प्वाइंट नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I have not allowed that to go on record.

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आगे बढ़ता हूं ...(**व्यवधान**) मैंने बार-बार आपसे कहा कि मैं भी इस राय का हूं---मैं सुझाव देना चाहता हूं---मेरा पहला सुझाव है कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिये शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाये । इस बिल में शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाये और लड़कियों को शिक्षित बनाया जाये और समाज में ऐसे उदाहरण बड़े लोग पेश करें जिनका लोग अनुसरण करें ।

कल मैंने जिक्र किया था---आज मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं नहीं तो मोनिका फिर तुम पर कूदोगी ।... (**व्यवधान**) मैं जानता हूं क्योंकि जब प्रधान मंत्री ही यह करेंगी ...(**व्यवधान**)

SHRIMATI MONIKA DAS: Every minute he is raising the name of the Prime Minister. He is not talking at all on the Bill.

श्री रामेश्वर सिंह : अच्छा कल्पनाथ राय जी ने कह दिया, मैंने वह छोड़ दिया । मेरे कहने का मतलब है कि हमको अपने समाज में सुधार करना पड़ेगा ।

मेरा दूसरा सुझाव है ...(**व्यवधान**)

SHRIMATI MONIKA DAS: How many minutes will you give a person? You have given him only ten minutes. And he is speaking nonsense.

श्री रामेश्वर सिंह : अपने नेता की बात तो मानों । मैं कह रहा था कि अंतरजातीय विवाह करिये । यह आप चलाओं और यह प्रोवीजन डालिये अपने विधान में कि उसी आदमी को ऊंची नौकरी, आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० की नौकरी दी जायेगी, जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत की लड़की से शादी करेगा यानी कि, साउथ की लड़की और नार्थ का लड़का या साउथ का लड़का और नार्थ की लड़की हो, ऐसा कुछ प्रावीजन करिये । इस में मोनिका दास खुश होंगी क्योंकि इन्होंने खुद कर्नाटक में शादी की है ।.. (**व्यवधान**) मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूं ।

श्रीमती मोनिका दास : मैंने नार्थ से जाकर साउथ में शादी नहीं की है । मैंने नार्थ में ही शादी की है मैं नार्थ की हूं और मैंने नार्थ में ही शादी की है । आप गलत बात कह रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : मेरे ऊपर तो मेहरबानी कीजिये आप ।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा दूसरा सुझाव है---एक तो है कि अन्तर-प्रान्तीय विवाह हो---और दूसरा प्रोपोजल यह है कि अन्तर-जातीय विवाह हो । इस के साथ यह कीजिये कि जो लड़का अतरजातीय विवाह करेगा---अपनी जाति से हट कर दूसरी जाति में विवाह करेगा, उसको ऊंची नौकरी दी जायेगी ।... (**समय की घंटी**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You have taken 18 minutes.

श्री रामेश्वर सिंह : मेरी बात तीन मिनट और सुन लीजिये ।

श्रीमती मोनिका दास : आपने तो मैरिज की अपने डिस्ट्रिक्ट में और अब दूसरे प्रान्त की बात करते हैं (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mrs. Das, do not provoke him.

SHRIMATI MONIKA DAS: I am not provoking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If you provoke him, he will decide to remarry now in some other district.

श्री रामेश्वर सिंह : गृह मंत्री जी, आप देश के इतिहास में लिखे जायेंगे-आप यह कानून बना दीजिये । जो अन्तर्जातीय विवाह करेगा उस को ऊंची गजटेड नौकरियों में प्राथमिकता देंगे जैसा आप कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए । शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स से हमारी बहिनें आज पिछड़ी हुई हैं, उन से ज्यादा महिलाएं पिछड़ी हैं । हरिजन भी अपनी औरत को मारता पीटता है, हम, प्रणब मुकर्जी, कल्पनाथ राय भी अपनी औरतों को प्रताड़ित करते रहते हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : अब चेयर को भी महत्व दीजिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग शादी-विवाह में फिजूल-खर्ची करेंगे उन का पुलिस उसी वक्त चालान कर देगी । एक लिमिट कर दीजिये । जो फिजूलखर्ची करेंगे, आडम्बर करेंगे, दिखावा करेंगे उन के ऊपर पुलिस कार्यवाही होगी चौथी बात कह कर मैं खत्म करता हूं । जो आफिसर अपने लड़के के लिए डाउरी लेंगे उन की नौकरी उसी वक्त समाप्त कर दी जायेगी प्रमाणित होने पर । जो मिनिस्टर अपने लड़के और लड़की की शादी में तिलक देगा और लेगा उसको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) तीन मिनट खत्म हो गये ।

श्री रामेश्वर सिंह : एक मिनट । मैंने एम एल ए के लिए कहा, अफसरों के लिए ।

जो लड़की अन्तर्जातीय विवाह करेगी, अन्तर्प्रान्तीय विवाह करेगी उस लड़की को सब से अच्छी नौकरी दी जायेगी । यह प्रावीजन भी जोड़िये । मान लीजिये ब्राह्मण की लड़की कोरी के लड़के से विवाह कर ले या अन्तर्जातीय कर ले तो उस को बड़ी नौकरी दी जायेगी । जैसे लड़कों के लिए वैसे ही लड़कियों के लिए करिये, फिर देखिये यह मामला हल होता है या नहीं । यह मामला सरकार खुद नहीं चाहती है कि हल हो । सरकार खुद आडम्बर में पड़ी हुई है दावत खाने में, खिलाने में, इसलिये कहना चाहता हूं, आज मेनका गांधी को कहना चाहता हूं कि अपनी सास के पास जाये। हे मेनका गांधी, देश की परम्परा के लिए अपनी सास की चप्पू करो नहीं तो हमारी पतोहू हमारी स्त्री की नहीं करेगी । हर बहू अपनी सास की मर्यादा रखे और सास-ससुर को चाहिए कि अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करे ।

श्रीमती मोनिका दास : आप के भाषण में तो कोई डाउरी की बात ही नहीं है ।

श्री रामेश्वर सिंह : एक बात मैं कहना भूल गया कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Hon. Leader of

[Shri Dinesh Goswami]

the House, will you mind if the Minister replies to this debate tomorrow?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Yes, Sir, it can be done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I may inform the Members that the debate will go on till the speeches of all the Members are exhausted, and after the speeches of all the Members are exhausted, we will take up the Tea (Amendment) Bill.

Mr. Chandan Bagchi. Is it your maiden speech or you have spoken earlier?

SHRI CHANDAN K. BAGCHI (Bihar): This is my maiden speech.

उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया गया है इस हाउस में उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Home Minister, with the permission of the Leader of the House. I have announced that the reply to the debate you will make tomorrow only.

SHRI. P. VENKATASUBBAIAH: Yes, Sir.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Tomorrow is Friday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): On the next day whatever it is.

श्री चन्दन के० बागची : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस वर्ष महिलाओं के संबंध में जो विधेयक पारित करने का कार्यक्रम रखा है वह सचमुच में एक सराहनीय कदम है। महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं यह इस बात से स्पष्ट होता है कि 1982 में करीब 600 नव बधुओं को जला कर मौत के घाट उतार दिया गया और यदि इस में अन्य दुर्घटनाओं को भी जोड़ दें अर्थात् शारीरिक प्रहार, विष प्रदान आदि तो वह संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इस बात से ही इस समस्या की गंभीरता का अंकन किया जा सकता है कि इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स के अध्ययन से पता चलता है कि दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 के बावजूद दहेज के कारण मृत्युओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती गयी है और महिलाओं पर अत्याचार और क्रूरता की संख्या में भी वृद्धि होती गई है। अतः इस अधिनियम का बनाना वास्तव में एक सराहनीय कदम होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि महिलाओं पर जो यातनायें होती हैं उन के कारण क्या हैं? यह सही है कि महिलाओं पर अत्याचार के कारणों में से एक प्रमुख कारण आर्थिक है और लोग शीघ्र धनी होने की कामना से महिलाओं पर और उस के परिवार पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालते रहते हैं। वास्तव में हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भी इस समस्या के मूल में है। अतः जब तक समाज में इस संबंध में आमूल परिवर्तन नहीं होता तब तक इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो सकता। इसलिये इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कदम भी हम को उठाने होंगे जिस से समाज में महिलाओं के प्रति जो वर्तमान स्थिति है उस में परिवर्तन हो। इस संबंध में महिला संगठन काफी अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। वर्तमान विधेयक की धारा 198-ए के अनुसार मुकदमा महिलाएं और उन से संबंधित लोगों द्वारा की गयी शिकायत पर ही दर्ज किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि अदालत की अनुमति से महिला संगठनों को भी इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए और उन की शिकायत पर मुकदमा

चलाने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए । बहुत से मामले महिला संगठनों की शिकायत पर ही प्रकाश में आये हैं । मथुरा देवी का मामला इस प्रकार का एक ज्वलन्त उदाहरण है । इसी तरह से दिल्ली में सुधा हत्याकांड पर भी प्रकाश नहीं पड़ता यदि दिल्ली के 13 महिला संगठन इस के पीछे न पड़ते । अत: विधेयक में महिला संगठनों को शिकायत करने का प्रावधान अदालत की स्वीकृति से प्राप्त होना चाहिए । लेकिन अदालतों को यह भी महसूस करना चाहिए कि महिला संगठनों द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायतों में तथ्य है और इसी कारण इस प्रकार के मामले उठाने की उन को छूट होनी चाहिए । महिलाओं पर बर्बरता को दो परिवारों के बीच की समस्या ही नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि उस को एक सामाजिक अपराध समझा जाना चाहिए और सामाजिक संगठनों को इस समस्या को हल करने के लिये उपयोग किया जाना चाहिए । लेकिन यह समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है । महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनमें एक प्रमुख कारण है । लेकिन आर्थिक कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी उन पर अत्याचार होते हैं । यदि पति पत्नी में वैमनस्य हो तथा उन के संबंध ठीक न हों तो पति तथा पति के परिवार उसकी पत्नी पर अत्याचार करते हैं । ऐसी हालत में विवाह से संबंधित कानून में भी संशोधन की आवश्यकता है । किन्तु केवल कानून से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । इसके लिये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कदम भी उठाने होंगे । मैं पिछले दिनों की बात कहना चाहता हूं जब हमारे युवा नेता संजय गांधी ने एक ऐतिहासिक कदम काफी जोर-शोर से उठाया था । स्वर्गीय संजय गांधी के नेतृत्व में जो पांच सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था उनमें यह भी एक कार्यक्रम था । दहेज उन्मूलन का कार्यक्रम भी उसमें एक था । जो युवक संगठन बने थे उन्होंने संजय गांधी के नेतृत्व में दहेज के खिलाफ प्रोत्साहित करने के लिये महत्वपूर्ण काम किये । बिहार में मैं तकरीबन ऐसे 20—25 केस बतला सकता हूं कि हमारे युवा संगठन ने बिना दहेज के और अन्तरजातीय विवाह कराये । सबसे पहले हमने अपने प्लेट फार्म से शुरू किया। हमने यह भी कहा कि इस तरह के कदम सब जगह जोर-शोर से उठाने चाहिये। मेरे ख्याल से सिर्फ कानून से ही दहेज का उन्मूलन नहीं हो सकता बल्कि इसमें सामाजिक और दूसरे महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे । उसमें यह हो कि जो युवा वर्ग बिना दहेज के शादी करें उसको नौकरियों में और दूसरी चीजों में प्राथमिकता दीजिए । इसमें मैं महिलाओं को भी कहना चाहूंगा कि जैसे विदेश में वीमेन लीव मूवमेंट चला हुआ है, उसमें उन्होंने पुरुषों से शादी न करने का विचार रखा हुआ है, उसी के अनुरूप कुछ कदम उन्हें उठाने चाहिये । उन्हें तो मैं इतना कड़ा कदम उठाने के लिये सलाह नहीं दूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक दूसरा कड़ा कदम उठाना चाहिये । वे 6 महीने या साल भर पुरुषों के साथ कड़ाई से पेश आएं और जो वीमेन लीव मूवमेंट चल रहा है उसी तरह से यहां भी कुछ कार्यक्रम अपनायें । मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक इससे पुरुष वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने की संभावना होगी । इस तरह से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Though I originally said that I will exhaust the list of speakers on this Bill today, since new names are coming, I think we will stop the discussion now and we will continue it on Monday.

श्री रामेश्वर सिंह : इसको सेलेक्ट कमेटी को रैफर किया जाए । यहां प्रणव बाबू बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We are adjourning discussion on this Bill till Monday and, therefore, you can make your submission on Monday.

I. STATUTORY RESOLUTION (SEEKING DISAPPROVAL OF THE TEA (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983 (NO. 7 OF 1983).

II. THE TEA (AMENDMENT) BILL, 1983.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We will now take up the Statutory Resolution and the Tea (Amendment) Bill, 1983.

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं :

"That this House disapproves of the Tea (Amendmant) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983) promulgated by the President on the 7th October, 1983."

यह जो आर्डिनेंस लाया गया सात अक्तूबर को, यह जो सात साल पहले चाय बागान लिये गये थे उनकी अवधि समाप्त हो रही थी उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिये आर्डिनेंस लाया गया । मैं ऐसा समझता हूं कि हर बार सदन में यह चर्चा होती है और सदन में सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि अत्यावश्यक कार्य होने पर ही हम आर्डिनेंस लायेंगे । यह कोई ऐसा मसला नहीं था कि आर्डिनेंस लाते । यह पहले से सरकार के पास चाय बागान थे जिनकी व्यवस्था सरकार कर रही थी । फिर क्यों सरकार गलत तरीके से बार-बार आर्डिनेंस जारी करती है ? जहां आवश्यक हो वहीं पर आर्डिनेस का उपयोग किया जाना चाहिये । मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि गलत तरीके से आर्डिनेंस का उपयोग क्यों किया जाता है । मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अत्यन्त आवश्यक और अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति में ही आर्डिनेन्स लाया जाय और इस तरह से आर्डिनेन्स का उपयोग न किया जाय । जैसा केन्द्र में होता है उससे भी ज्यादा विचित्र स्थिति प्रान्तों में देखने को मिलती है । मैं जिस बिहार प्रान्त से आता हूं, मंत्राणी जी भी उसी प्रान्त से आती हैं । वहां पर सैकड़ों ऐसे आर्डिनेन्स हैं जो वर्षों से चल रहे हैं । मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार से आर्डिनेन्स लाने पर रोक लगायें ।

श्रीमन, यह चाय बागानों का प्रश्न है । एक छोटे से काम के लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया है । पहले इसकी अवधि पांच साल थी । बाद में सात साल की गई और अब सुझाव दिया गया है कि चाय बागानों को 11 साल तक ग्रहण किया जा सकता है । इतनी सी बात के लिए यह विधेयक लाया गया है । चूंकि इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने का समय आया है और चूंकि इसका संबंध चाय से है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ बातें मंत्राणी जी के सामने रखना चाहता हूं । सात साल तक आपने जिन बागानों को अपने हाथ में लिया, उनमें कितनी प्रगति हुई, इन वर्षों में चाय का कितना उत्पादन बढ़ा, कितनी नई जमीन चाय के अन्तर्गत आई, कितनी मशीनें इसमें लाई गई हैं और